अनुदान संख्या 73 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 73–MINISTRY OF POWER

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1670,57,00	2780,91,00	2776,98,27	–3,92,73
पूरक	Supplementary	1110,34,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2651,98,00	2651,99,00	1234,85,79	–1417,13,21
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1416,96,55

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2801" बिजली	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	165971.00	276998.88	276696.38	–302.50
पू.	S.	111034.00			
पु.	R.	–6.12			

(I) 191.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 124.00 लाख रु. अकेले "सामान्य - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लिए

(I) Provision of Rs.191.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.124.00 lakhs alone accounted for under "General - Other Expenditure - Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for North

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना'' के अंतर्गत आयोग की स्थापना न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - सामान्य''- 603.11 लाख रु. की बचत (2664.86 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा प्रभारित ब्याज की दर में कमी आने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य''-

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान''- 620.00 लाख रु. की बचत (1409.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई स्कीम को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय''-

(i) ''केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग''- 147.98 लाख रु. की बचत (732.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ii) ''मूल्यांकन अध्ययन के लिए निधियां''- 354.83 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मांग पक्ष प्रबंधन स्कीम के प्रारंभिक अध्ययन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (648.30 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2006 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1034.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 100.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 85.91 लाख रु. था।

Eastern States and Sikkim"- due to not-setting up of the Commission.

(II) Savings occurred under the following heads:-

(A) "Thermal Power Generation - Badarpur Thermal Power Station - General" - saving of Rs. 603.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2664.86 lakhs) was due to reduction in the rate of interest charged by the Government.

(B) "General"-

(a) "Training-National Power Training Institute"- saving of Rs.620.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1409.00 lakhs) was due to non-approval of new scheme by the competent authority.

(b) "Other Expenditure"-

(i) "Central Electricity Regulatory Commission"- saving of Rs.147.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.732.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts and economy measures.

(ii) "Funds for Evaluation Studies"- saving of Rs.354.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-approval of Pilot Study of Demand Side Management Scheme.

2.(I) The above savings were partly (Rs.648.30 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1034.00 lakhs in March, 2006 under the following heads:-

(A) "Thermal Power Generation - Direction and Administration - Central Electricity Authority"- Rs.100.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.85.91 lakhs.

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण''- 547.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 488.57 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - प्रचालन और अनुरक्षण''- 499.17 लाख रु. का अधिक व्यय (122559.39 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली ट्रांस्को लि. से विद्युत की बिक्री की प्राप्ति के सदृश प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विद्युत केंद्र द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त निधियों के कारण हुआ।

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय''-

(क) ''विद्युत के लिए अपीलीय अधिकरण''- 240.53 लाख रु. का अधिक व्यय (20.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन 13 मई 2005 को विद्युत के लिए अपीलीय अधिकरण की देर से स्थापना किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए परामर्शी प्रभार''- 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं को तीन वर्षों के लिए नियुक्त किए जाने और पिछले वर्ष में कम निर्गम किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) "General - Other Expenditure - Central Electricity Authority" - Rs.547.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.488.57 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following heads:-

(A) "Thermal Power Generation-Badarpur Thermal Power Station-Operation and Maintenance"- excess of Rs.499.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.122559.39 lakhs) was due to additional fund required by the Power Station for operation and maintenance to be matched by the receipt on sale of power from Delhi Transco Ltd.

(B) "General - Other Expenditure"-

(a) "Appellate Tribunal for Electricity" - excess of Rs.240.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20.00 lakhs) was due to late setting up of the Appellate Tribunal for Electricity on 13th May, 2005 under the Electricity Act, 2003.

(b) "Consultancy Charges for APDRP Projects" - excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1545.00 lakhs) was due to consultants were appointed for three years and less releases were made in the previous year.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	92400.00			
पु.	R.	–92400.00	. .	. .	. .

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4801" बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	172798.00			
पू.	S.	1.00	123502.45	123485.79	–16.66
पु.	R.	–49296.55			

(I) 92400.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "पन बिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड"- 65544.77 लाख रु. की बचत (130660.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेस्टा लो डैम-IV, उरी-II तथा पार्वती-III के मामलों में निवेश संबंधी अनुमोदन में विलंब होने, सियोम-टेक में निवेश संबंधी अनुमोदन उपलबध न होने तथा किशन गंगा स्कीम में संशोधन के कारण कार्य आबंटित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" - 131.69 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा अधिगृहीत भूमि के अंतरण में विलंब होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (679.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई

(I) Provision of Rs.92400.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Other Expenditure - Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "4801" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Hydel Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Hydro Electric Power Corporation Ltd." - saving of Rs.65544.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130660.00 lakhs) was due to delay in investment approval in the cases of Testa Low Dam-IV, Uri-II and Parvati-III, non-availability of investment approval in Siyom-TEC and non-award of the work because of revision in the scheme Kishan Ganga.

(B) "General - Other Expenditure - Central Electricity Authority"- saving of Rs.131.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to delay in transfer of land acquired by Power Grid Corporation of India Ltd.

4.(I) The above savings were partly (Rs.679.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसाकि मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''पन बिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - टिहरी हाइड्रो विकास निगम'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश- पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 15684.25 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "4801" - "Hydel Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Tehri Hydro Development Corporation".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4801" - "Diesel/Gas Power Generation-Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation"- excess of Rs.15684.25 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.